**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2894**
**(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**विकसित भारत-रोजगार एवम् आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत रोजगार गारंटी**

**2894. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर जलवायु अनुकूलन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित परियोजनाओं में मांग-आधारित रोजगार से नियोजित ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना की ओर परिवर्तन के संदर्भ में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम के उद्देश्य और मुख्य प्रावधान क्या हैं;

(ख) उक्त अधिनियम के अंतर्गत आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या, प्रकार तथा उनके क्षेत्रीय और भौगोलिक कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुमानतः कितना रोजगार सृजन होगा और इसके वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए तंत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्य और अन्य स्रोतों से प्राप्त योगदान सहित प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(श्री कमलेश पासवान)**

(क): विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी- जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची I के पैरा 3 के अनुसार, इसके मुख्य उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

i. इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण विकास ढांचे को विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न के साथ जोड़ना है जिसके लिए उन ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की बढ़ी हुई वैधानिक मज़दूरी रोज़गार गारंटी प्रदान की जाएगी जिनके

वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, जिससे उन्हें विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढांचे में अधिक प्रभावी ढंग से समावेशित किया जा सके।

ii. सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित करना जो 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक' बनाने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें जल-संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे और चरम मौसम घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए विशेष कार्यों पर विषयगत ध्यान दिया जाएगा।

iii. ग्रामीण कार्यबल के लिए मज़दूरी-रोज़गार गारंटी के मद्देनज़र, कृषि श्रम गहन समय के दौरान पर्याप्त कृषि-श्रमिक की उपलब्धता को सुगम बनाना।

iv. विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अभिसरण, संतृप्ति-संचालित नियोजन और 'संपूर्ण सरकार वितरण' को संस्थागत बनाना, जो ग्राम पंचायतों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत हो, और भू-स्थानिक प्रणालियों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जिला और राज्य नियोजन तंत्रों द्वारा संचालित हो, जिसमें ऐसी योजनाओं को ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर समेकन किया जाएगा।

v. एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से शासन, जवाबदेही और नागरिक जुड़ाव को आधुनिक बनाना, जिसमें विभिन्न स्तरों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या मोबाइल आधारित कार्यस्थल की निगरानी, रीयल-टाइम प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण और नियोजन, लेखा परीक्षा एवं धोखाधड़ी जोखिम शमन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शामिल है।

**(ख):** इस अधिनियम में कार्यों का अभिनिर्धारण और इसकी प्राथमिकता तय करने के लिए ग्राम सभा द्वारा तैयार और अनुमोदित सहभागी विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं का प्रावधान है, जिन्हें ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर संकलित किया जाता है। कार्यों के प्रकार चार विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं: (i) जल सुरक्षा के लिए जल-संबंधित कार्य; (ii) मुख्य ग्रामीण अवसंचरना; (iii) आजीविका-संबंधित अवसंचरना; और (iv) विपरित मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने और आपदा प्रबंधन की तैयारी के लिए विशेष कार्य।

**(ग):** यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (4) के अनुसार, केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए राज्य-वार मानक आवंटन निर्धारित करेगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

**(घ):** अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत कार्यान्वित योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच निधि साझाकरण का प्रारूप उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-

कश्मीर) के लिए 90:10 होगा तथा अन्य सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 होगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) हेतु 95,692.31 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है, जो बजट अनुमान चरण में ग्रामीण रोजगार के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। अनुपातिक अनुमानित राज्य हिस्सेदारी को शामिल करने के साथ, कुल कार्यक्रम परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण कायाकल्प, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि में महत्वपूर्ण तेजी आने की उम्मीद है।

****